

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 95/2026

राम आधार

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ
एवं 7 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – हेमंत कुमार मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, आरती गांगुली

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हेमंत कुमार मिश्रा, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री धीरज ओझा और गाँव सभा (विपक्षी संख्या 5) के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मोहन सिंह को सुना।
2. जनहित में दायर इस रिट याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने ग्राम- बयालमऊ, परगना- फतेहपुर, तहसील- राम नगर, जिला- बाराबंकी में स्थित गाटा संख्या 113, क्षेत्रफल 0.161 हेक्टेयर और गाटा संख्या 118, क्षेत्रफल 0.3420 हेक्टेयर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने विपक्षीगणको गाटा संख्या 114, जो खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज है, के अवैध विमोचन और सड़क निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी मांग की है। रिट याचिका में कहा गया है कि इससे पूर्व याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका संख्या 24915 वर्ष 2020 दायर की थी, जिसे विपक्षीगण द्वारा दायर प्रतिशपथपत्र में प्रस्तुत इस दलील को दर्ज करने के बाद निस्तारित कर दिया गया था कि गाटा संख्या 113/118 पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है। याचिका

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को तहसीलदार को विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक कार्यवाही संपन्न करने के निर्देश के साथ निस्तारित किया गया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त निर्देश के बावजूद अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तहसीलदार, राम नगर, जिला बाराबंकी द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देश के आधार पर यह कथन प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता और विपक्षी संख्या 6 से 8 के बीच विवाद के संबंध में, विवादित मार्ग पर ईटें बिछाने के बिंदु पर याचिकाकर्ता की ओर से निजी विपक्षीगण के विरुद्ध पुलिस थाना-फतेहपुर, बाराबंकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 506, 336, 323, 34 के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए प्राथमिकी संख्या 243/2003 दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता के इस मूल तर्क के संबंध में कि खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज भूमि का उपयोग मार्ग के रूप में किया जा रहा है, लिखित बयान में यह कहा गया है कि मार्ग गाटा संख्या 114 पर निर्मित नहीं है, जो खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज है, बल्कि यह गाटा संख्या 113 पर निर्मित है, जो मार्ग के रूप में दर्ज है। गाटा संख्या 118 की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के अन्य तर्क के संबंध में, निर्देश में कहा गया है कि गाटा संख्या 114 खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज है। गाटा संख्या 118 पर कुछ अतिक्रमण पाए गए थे, जो मार्ग के रूप में दर्ज है। अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई थी और दिनांक 26.07.2019 को बेदखली का आदेश पारित किया गया था। दिनांक 26.07.2019 के आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की गई थी, जिसे दिनांक 04.07.2024 को खारिज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत एक मामला किसी दिनेश के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था, जिसकी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई और उसके बाद उसकी पत्नी राधा देवी (इस याचिका की विपक्षी संख्या 7) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत नई कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जो तहसीलदार (न्यायिक) राम नगर, जिला बाराबंकी के समक्ष लंबित है और जिसके लिए दिनांक 17.02.2026 की तिथि निर्धारित है।

5. उपरोक्त तथ्य के दृष्टिगत, इस याचिका का निस्तारण विपक्षीगण को तहसीलदार, राम नगर, जिला बाराबंकी द्वारा वाद संख्या टी 201904120400638 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2019, जिसकी जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2024 के माध्यम से पुष्टि की गई है, के कार्यान्वयन को विधि के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अनुसार तत्परतापूर्वक सुनिश्चित करने का निर्देश जारी करते हुए किया जाता है, जिसके लिए आज से एक माह की अवधि में राजस्व न्यायालय मैनुअल के पैरा 460 के अंतर्गत आवेदन दायर किया जाए और आदेश को यथासंभव तत्परतापूर्वक के साथ लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वाद संख्या टी201904120400638 की कार्यवाही भी तत्परतापूर्वक संचालित की जाएगी और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संपन्न की जाएगी और जिसका अनुपालन भी विधि के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

17 फरवरी, 2026

मु.